पत्र संख्या : 7ब/4701 यो०ज०सं० 05/2012 - 105

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

एस० के० शतपथी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, राँची/अग्रिम योजना, राँची/रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता,-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक 5-9-12

विषय :- मॉग संख्या-49-जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना, उप शीर्ष-71-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मुल्यांकण, विस्तृत शीर्ष-06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, विपत्र कोड 49P470180796710649 के अन्तर्गत व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में निधि का आवंटन।

महाशय,

वित्तीय वर्ष 2012-2013 में बजट मुख्य शीर्ष **4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजी परिव्यय** के अंतर्गत निम्नरूपेण दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन परिशिष्ट 1 में अंकित कार्यालयों को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है :-

क्र०	मॉग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड	आवंटित राशि (लाख रू० में)
1	2	3	4	5
1.	49-जल संसाधन विभाग/ 4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ 80-सामान्य	796-जन-जातीय क्षेत्रीय उपयोजना/71-सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन	06-अनुदान, 49 आर्थिक सहायता विपत्र कोड - 49P470180796710649	**46.81640**

आवंटित राशि - ₹ छियालिस लाख एक्यासी हजार छः सौ चालीस मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2012-2013 के बजट उपबंध **रू० 175.00 लाख (एक करोड़ पचहत्तर लाख)** मात्र के अंतर्गत है।
3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं 1800 (वि०) दि० 15.07.2003 के आलोक में होगा।
4. आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट-1 पर वर्णित कार्यो के लिए किया जायेगा।
5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
6. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
7. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकरी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
8. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(सुरेश प्रसाद भगत)	(जयप्रकाश भट्टाचार्या)	(सुबोध कुमार सिन्हा)	(बी० सी० निगम)
सहायक अभियंता	उप सचिव (अभि०)	संयुक्त सचिव (अभि०)	विशेष सचिव

9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
10. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार राँची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 जनवरी 2013** तक निश्चित रूप से कर देंगे।

नोट : यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 105 राँची, दिनांक :– 5-9-12

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, राँची/कोषागार पदाधिकारी, राँची/डोरण्डा/खूँटी/गुमला/चाईबासा/बुण्डू/सिमडेगा** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(एस० के० शतपथी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक :– 105 राँची, दिनांक :– 5-9-12

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त,/सचिव योजना एवं विकास विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग/आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) राँची/अभियंता प्रमुख –**I** एवं **II** जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/ प्रधान सचिव के सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(सुरेश प्रसाद भगत) सहायक अभियंता	(जयप्रकाश भट्टाचार्या) उप सचिव (अभि०)	(सुबोध कुमार सिन्हा) संयुक्त सचिव (अभि०)	(बी० सी० निगम) विशेष सचिव	**(एस० के० शतपथी) प्रधान सचिव**

विभागीय पत्रांक 105 दिनांक 5-9-12 का अनुलग्नक परिशिष्ट –1 1/1

मॉग संख्या–49–जल संसाधन विभाग
मुख्य शीर्ष–4701 मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय,
उप–मुख्य शीर्ष–80–सामान्य,
लघु शीर्ष –796–जन–जातीय क्षेत्रीय उपयोजना
उप शीर्ष–71–सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श एवं मूल्यांकन
विस्तृत शीर्ष–06–अनुदान, 49 आर्थिक सहायता, 49P470180796710649

वित्तीय वर्ष 2012–13 में बजट उपबंध 175.00 लाख (₹ एक करोड पचहत्तर लाख) रूपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि एवं प्रसंग		मार्च 2012 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2012–13 में आवंटन			अभ्युक्ति
							पूर्व का आवंटन	वर्त्तमान आवंटन	कुल आवंटित राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	अग्रिम योजना प्रमंडल राँची	अग्रिम योजना, राँची	सर्वेक्षण कार्य, सर्वेक्षण उपकरण क्रय, डी०पी०आर० प्रीपरेशन	61.00	66/11-12 प्र. स्वी. राँची दिनांक– 12.03.2012	0.0000	0.0000	15.60640	15.60640	लोहरदगा जिला अन्तर्गत प्रास्तावित दहरबाँटी मध्यम सिंचाई योजना का सर्वेक्षण कार्य
								0.10000	0.10000	विविध प्रकार के आकस्मिक सर्वेक्षण कार्य
2	जलपथ प्रमंडल सं॰–1, सिमडेगा	राँची						0.10000	0.10000	
3	जलपथ प्रमंडल खुँटी	राँची						0.10000	0.10000	
4	जलपथ प्रमंडल गुमला	राँची						0.10000	0.10000	
5	जलपथ प्रमंडल सं॰–2, चैनपुर गुमला	राँची						0.10000	0.10000	
6	जलपथ प्रमंडल सं॰–1, चैनपुर शिविर गुमला	राँची						0.10000	0.10000	
7	जलपथ प्रमंडल सं॰–2, चक्रधरपुर शिविर चाईबासा	राँची						0.10000	0.10000	
8	जलपथ प्रमंडल सं॰–1, चक्रधरपुर	राँची						0.10000	0.10000	
9	सिचांई प्रमंडल बुण्डू	राँची						0.10000	0.10000	
10	जलपथ प्रमंडल राँची	राँची						0.10000	0.10000	
11	समग्र योजना अन्वेषण एवं जल विज्ञान प्रमंडल सं॰–2 राँची	रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान	विभिन्न तरह के सर्वेक्षण, अनुसंधान, परामर्श, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन कार्य/विभिन्न नदियों पर गेज डिस्चार्ज मापन कार्य/दो परामर्शियों के पारिश्रामिकादि का भुगतान	350.00	08/12-13 प्र. स्वी. राँची दि०– 09.06.2012	0.0000	0.0000	30.21000	30.21000	नदियों पर गेज पठन पाठन एवं डिस्चार्ज मापन कार्य
					कुल योग	**0.0000**	**0.0000**	**46.81640**	**46.81640**	
	आवंटित राशि – ₹ छियालिस लाख एक्यासी हजार छः सौ चालीस मात्र।									

(सुरेश प्रसाद भगत)
सहायक अभियंता

(जयप्रकाश भट्टाचार्या)
उप सचिव (अभि॰)

(सुबोध कुमार सिन्हा)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

(बी॰ सी॰ निगम)
विशेष सचिव

(एस॰ के॰ शतपथी)
प्रधान सचिव